

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

—0—
// संशोधन आदेश //

रायपुर, दिनांक 27/8/11

क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.07.2011 द्वारा बी.एड. /एम.एड. हेतु अंतिम शुल्क का निर्धारण 2011-12 से किया गया था, में आंशिक संशोधन कर राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिये तदनुसार अंतिम शुल्क निर्धारित किया जाता है ।

2/ संदर्भित आदेश के सरल क्रमांक 6 (लेट फीस से संबंधित), सरल क्रमांक 9 (प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त शुल्क से संबंधित) तथा टीप को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

(एम.एन.राजुशर्कर) 27/8/11
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27/8/11

पृ. क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
6. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
7. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
9. सदस्य/सचिव, प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय, छ0ग0 रायपुर ।
10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर ।
11. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
12. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
13. रजिस्ट्रार, गुरुघासीदास वि.वि.कोनी, बिलासपुर ।
14. रजिस्ट्रार, सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर ।
15. रजिस्ट्रार, बस्तर वि.वि. जगदलपुर ।
16. रजिस्ट्रार, डा.सी.व्ही.रमन वि.वि. बिलासपुर ।
17. रजिस्ट्रार, मेट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर ।
18. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय,
19. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
20. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम.एन.राजुशर्कर) 27/8/11
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग